(19)

(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4301–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–9–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक–54/अ–27/2009–10.

.....

1. रामाश्रय तनय रामखेलावन केवट
2. इन्द्रभान तनय राखेलावन केवट
3. रामबहोर तनय राखेलावन केवट
4. रामभान तनय राखेलावन केवट(मृत) वारिसान–

(अ) सुकबरिया पत्नी रामभान
(ब) शिव प्रसाद तनय स्व0 रामभान
(स) शिवकुमार उर्फ लोले तनय रामभान
(इ) कौरी पुत्री स्व0 रामभान
सभी निवासी ग्राम परसौना तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0

––––––आवेदकगण

विरूद्ध

1. बुद्धसेन तनय जोखू केवट
2. बृजभान तनय रामकृपाल केवट
3. रमेश तनय रामकृपाल केवट
4. परमेश्वर तनय रामकृपाल केवट
5. रजुआ पुत्री सुकबरिया पत्नी प्रेमलाल केवट
   निवासी ग्राम बरहदी, तहसील रायपुरक कचु0
   जिला रीवा म0प्र0

––––––अनावेदकगण

.....

श्री मोरध्वज सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अमिताब चर्तुवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 14–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार रायपुर कर्चलियान के समक्ष ग्राम बरहदी प0ह0 नं0 बरही तहसील स्थित आरा0 न0 2091 रकवा 3.237 है0 भूमि के बटवारा नामांतरण हेतु संहिता की धारा 178/109/110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 48/अ–27/05–06 में पारित आदेश दिनांक 20–2–06 के द्वारा बटवारा आदेश पारित किया। आवेदकगण द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्च0 जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27–10–09 के द्वारा नवाटवारा आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये बटवारा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 14–9–2012 के द्वारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2003 में प्रतिनिगरानीकर्ता का नाम सहभूमिस्वामी के रूप में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज किया गया। इस संबंध में आवेदकगण की ओर से अवैध भूमिस्वामी इन्द्राज को निरस्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय में 49/अ–6–अ/2005–06 पर दर्ज हुआ। इस प्रकार ये फर्जी इंद्राज के आधार पर किया गया बटवारा भी निराधार होकर निरस्त योग्य है। तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही में आवेदक के आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। संहिता

की धारा 178 के तहत कोई भी सहभूमिस्वामी बटवारा आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। जब अनावेदकगण सहभूमिस्वामी नहीं थे तब उन्हें बटवारा आवेदन प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी। इन्हीं बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी ने बटवारा कार्यवाही में त्रुटियां पाते हुये तहसीलदार का आदेश निरस्त कर उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये बटवारा नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्ण बटवारे की पुष्टि, जो अपर कलेक्टर द्वारा की गई है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 14–9–2012 निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चु0 जिला रीवा का आदेश दिनांक 27–10–2009 स्थिर रखा जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

13/8/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर